बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या – 15/औ०–11–09/2025 /स्वा०, पटना, दिनांक –...........2026

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र के असधारण अक में दिनांक–24.04.2025 को प्रकाशित औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियमावली, 2025 के नियम 3 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल द्वारा औषधि नियमावली, 1945 के नियम 50 के अन्तर्गत नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी (राज्य औषधि नियंत्रक) को अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से संपूर्ण बिहार राज्य हेतु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32ख के तहत् अपराधो को शमन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की लागू धारा के अनुसार होगी एवं उसके अधीन बनाए गए नियम "औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियमावली, 2025" के प्रयोजनार्थ यथाः– औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अधीन विनिर्माण, आयात, बिक्री, वित्तरण या अन्य गतिविधि में सम्मिलित व्यक्ति/ व्यक्तियों/कम्पनी से संबंधित उत्पन्न मामलों के संबंध में उपाय/निराकरण करने के लिए शमन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. नियमावली, 2025 के नियम–04 के तहत् आवेदक अभियोजन प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् अपराध/अपराधों के शमन के लिए सुसंगत सूचनाओ/दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में शमन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगें।

3. नियमावली, 2025 के नियम–05(1) के तहत् प्राप्त आवेदन के आलोक में शमन प्राधिकारी संबंधित रिपोर्टिंग पदाधिकारी (सहायक औषधि नियंत्रक) से आवेदन के सदर्भ में रिपोर्ट की मांग करेंगे।

4. नियमावली, 2025 के नियम–05(3) के अनुसार प्राप्त आवेदन की विषय–वस्तु पर विचार करने के पश्चात् शमन प्राधिकारी शमन की रकम दर्शाते हुए आवेदन स्वीकार करेंगे और नियम–06 में वर्णित उपबंधों के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेंगे अथवा आवेदन तबतक अस्वीकार नहीं करेंगे जबतक आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो तथा अस्वीकार करने की स्थिति में अस्वीकृति के आधार/कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेंगे एवं की गई कार्रवाई से संबंधित निर्गत सभी आदेश की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

5. नियमावली, 2025 के नियम–05(5) के तहत् शमन प्राधिकारी द्वारा रकम भुगतान किये जाने के आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा आदेश प्राप्ति के तारीख से तीस दिनों के अन्दर रकम भुगतान करेंगे एवं ऐसे किये गए भुगतान का साक्ष्य शमन प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

8

6. नियमावली, 2025 के नियम–06 एवं 07 के तहत् अभियोजन से उन्मुक्ति एवं अभियोजन उन्मुक्ति वापस लिए जाने के संबंध में शमन प्राधिकारी द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री(अपराधों का शमन) नियम,2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–11–09/2025 255(15A) **पटना/दिनांक :** 08/04/**2026**

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषाग, वित्त विभाग को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला/सभी उप औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : Dr. Rajeev singh Raghuvanshi, Drugs controller General(India), CDSCO(HQ), FDA Bhawan, Kotala Road, New Delhi- 110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री नित्यानंद किसलय, राज्य औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।